शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला, देहरादून।

Saheed Durgamall Govt Post Graduate College Doiwala, Dehradun (Uttarakhand)

शैक्षणिक कैलेण्डर – 2020–21

आवेदन प्रारम्भ

01. प्रवेश फार्म – 05–08–2020
02. शैक्षिक सत्र प्रारम्भ – 01–09–2020
03. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि– 20–08–2020
04. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की अन्तिम तिथि –30–08–2020
05. स्नातक/स्नातकोत्तर की अन्य समस्त कक्षाओं में प्रवेश प्रारम्भ की तिथि – 20–8–2020
06. स्नातक/स्नातकोत्तर की अन्य समस्त कक्षाओं में प्रवेश की अन्तिम तिथि– विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित होने के 20 दिन के भीतर।
07. शिक्षण कार्य प्रारम्भ की तिथि –01–09–2020
08. प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/पंचम सेमेस्टर पाठ्यक्रम शिक्षण अवधि –15–10–2020 से 31–12–2020
09. परीक्षावधि – माह जनवरी 2021/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि
10. द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम सेमेस्टर पाठ्यक्रम शिक्षण अवधि –01–02–2021 से 31–05–2021 तक
11. परीक्षावधि – माह जून 2021/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि
12. सम/विषय सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा आवेदन पत्र भरने/जमा की तिथि – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार
13. शीतावकाश – माह जनवरी 2021 में प्रस्तावित
14. ग्रीष्मावकाश –माह जून–जुलाई 2021 में प्रस्तावित
15. शिक्षणेत्तर गतिविधियां एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/रोवर्स रेन्जर्स/वार्षिक क्रीड़ा वार्षिकोत्सव – विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुक्रम में निर्धारण।

नोटः कोविड–19 के दृष्टिगत उक्त शैक्षणिक कलैंडर 2020–21, राज्य सरकार/भारत सरकार के निर्देशानुसार परिवर्तनीय रहेगा।

शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला, देहरादून।

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

राजकीय महाविद्यालय डोईवाला की स्थापना शासनादेश संख्या 2771/मा.स.वि./2001 दिनांक 10 अगस्त 2001 से स्नातक कला संकाय के आठ विषयों के साथ हुई।महाविद्यालय देहरादून से लगभग 20 किमी. की दूरी पर सौंग नदी (डोईवाला) के पुल के समीप भानियावाला में स्थित है। स्नातक स्तर पर उत्तराखण्ड शासन की पत्रांक संख्या 3011/जी.एस. शिक्षा सम्बद्धता 2007 देहरादून, दिनांक 27 फरवरी 2008 के पत्र द्वारा महाविद्यालय के स्नातक कला संकाय स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान में स्थाई सम्बद्धता हेमवती नन्दन बहुगुणा श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय से दिनांक 01 जुलाई 2008 में प्रदान की गयी।

उत्तराखण्ड मान्यता/3362 दिनांक 22–03–12 हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर कला, हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं भूगोल पाठ्यक्रम में अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गयी। पत्रांक संख्या मान्यता/1593 दिनांक 10 सितम्बर 2014 के माध्यम से स्नातकोत्तर इतिहास एवं समाजशास्त्र में भी अस्थाई मान्यता प्रदान की गयी। सत्र 2017–18 से श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एम.ए. मनोविज्ञान में भी अस्थाई मान्यता प्रदान की गई।

पत्रांक संख्या मान्यता/5340 दिनांक 5 नवम्बर 2015 के माध्यम से स्नातक सैन्य विज्ञान विषय की अस्थाई मान्यता प्रदान की गयी। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पत्रांक संख्या एफ–एन.08–3220/2010(CPP-I/C)दिनांक 5 मई 2011 के द्वारा यू.जी.सी. से सेक्शन 2 (एफ) 12 (बी) यू.जी.सी. एक्ट 1956 के अन्तर्गत आच्छादित है।

शासनादेश संख्या 2268(I) XXIV(7) 23(घो.)/2011 दिनांक 22 दिसम्बर 2011 द्वारा महाविद्यालय का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी शहीद दुर्गा मल्ल जी के नाम पर शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर दिया गया।

प्रवेश एवं महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचनायें कालेज वेबसाइट/ सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है। सभी प्रवेशार्थी/विद्यार्थी सूचनाओं का अवलोकन करते रहें।

श्रीदेव सुमनवि.वि. से सम्बद्ध छात्र/छात्राओं पर श्रीदेव सुमन वि.वि. के नियम एवं हे.न.ब.ग.विश्वविद्यालय से सम्बद्ध छात्र/छात्राओं पर हे.न.ब.ग. विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे। इस वर्ष प्रवेश ऑनलाइन होंगें। कालेज बेबसाइट पर प्रवेश सम्बन्धी सूचना के अनुसार आवेदन करें। प्रवेश हेतु अर्ह पाये जाने पर आवेदक को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित सम्बन्धित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु स्वयं उपस्थित होना होगा। यदि मुद्रण में कोई त्रुटि अथवा अनुच्छेद मुद्रित होने से रह गया हो तो इस क्रम में महाविद्यालय/संबंधित विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के सामान्य अनुच्छेद मान्य होंगे।

प्रवेश सम्बन्धी नियम एवं निर्देश

1. ऑनलाइन प्रवेश आवेदन–पत्र जमा करते समय वांछित प्रमाण–पत्रअपलोड / स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करनी होगी तथा प्रथमवार साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्र अवलोकित करवाने होंगे।

   (क) हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छाया प्रतियाँ।

   (ख) अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग तथा अन्य लाभों हेतु प्रमाण पत्र।

   (ग) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।

2. पासपोर्ट साइज के नवीनतम एवं रंगीन फोटो प्रवेश आवेदन–पत्र पर निर्धारित स्थानों पर लगाने होंगे।

3. व्यक्तिगत रूप से परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी किसी राजपत्रित अधिकारी / सांसद / विधान सभा सदस्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र मूल रूप से संलग्न करें।

4. आवेदन–पत्र जमा करने के उपरान्त किसी भी प्रकार का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया जा सकेगा।

5. जो प्रवेशार्थी गत सत्र में महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा हो, उसके लिए प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ केवल विगत परीक्षा की अंक–तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना तथा निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा करना पर्याप्त होगा।

6. जिन प्रवेशार्थियों का प्रवेश प्रवेश समिति के अनुमोदन पर प्राचार्य द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें निर्धारित तिथि तक बैंक में पूर्ण शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रतीक्षा सूची से अन्य विद्यार्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

7. माननीय उच्च न्यायालय तथा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रत्येक विषय में निर्धाति सीटों पर प्रवेश मेरिट के आधार पर देय होगा।

8. प्राचार्य को सत्यता प्रमाणित न होने की दशा में किसी अभ्यर्थी को प्रवेश न देने तथा किसी भी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा।

9. बी.ए. स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में आवेदन हेतु 40 प्रतिशत, विज्ञान वर्ग में 45 प्रतिशत तथा वाणिज्य में 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक अनिवार्य हैं। प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा तथा शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा, केवल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

10. 39.99%अंक को 40 प्रतिशत या 44.99% अंक को 45 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।

11. अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

12. (क) उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या : 1144/कार्मिक–2–2001–53 (1)/2001 दिनांक 18 जुलाई 2001 के अनुसार–उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 14 प्रतिशत, आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। सक्षम अधिकारी से तात्पर्य जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी से है।

(ख) अधिसूचना सं.–64/xxxvi(3)/2019/19/1/2019 दिनांक 7 मार्च 2019 के अनुपालन में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार(10%) आरक्षण देय होगा तथा इसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(क) महिलाएँ–30 प्रतिशत।

(ख) कार्यरत एवं केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित – 05 प्रतिशत।

(ग) दिव्यांगव्यक्ति– 04 प्रतिशत।

14. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित –02 प्रतिशत (जो छात्र/छात्रा जिस वर्ग का होगा/होगी उसे उसी वर्ग में क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा) दिव्यांग अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15. उत्तराखण्ड क्षेत्र के निवासियों को प्रदेश में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लिए निर्धारित कोटे के अन्तर्गत, जिले के जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही प्रवेश में आरक्षण सुविधा अनुमन्य होगा।

16. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर 06 वर्ष तथा परास्नातक स्तर पर 04 वर्ष ही अध्ययन करने की सुविधा होगी।

17. न्यायालय द्वारा दण्डित छात्र/छात्राओं को प्रवेश दे पाना सम्भव नहीं होगा।

18. किसी भी प्रकार का कैजुअल एडमिशन नहीं दिया जायेगा।

19 प्रत्येक कक्षा में प्रवेश उपलब्ध सीटों के अनुसार योग्यता क्रम से होगा।

20. इस संस्था में प्रवेष लेने वाला कोई भी अभ्यर्थी एक ही सत्र में अन्य किसी दूसरी संस्था में प्रवेश नहीं लेगा।

21. संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश देय नहीं होगा जिसकी परीक्षा विद्यार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात् एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसी कक्षा के दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

22. यदि कोई प्रवेशार्थी न्यूनतम अर्हता न होते हुए प्रवेश प्राप्त कर लेता है अथवा उसके द्वारा संलग्न प्रमाण–पत्र जाली पाये जाते हैं तो छानबीन करने पर अथवा सूचना प्राप्त होते ही उसका प्रवेश निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा तथा ऐसे प्रवेशार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

23. अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्षों तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है, तो ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दिया जा सकता है। दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात् प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही देय होगा।

24. सभी प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु विषयों का चयन विवेकपूर्ण तरीके से करें। शुल्क जमा होने के पश्चात् विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

25. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं के पूर्णतः अनुशासित रहकर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिनियमों, सावधि अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक पालन करना होगा तथा वे किसी भी अवांछनीय अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। उक्त की अवहेलना करने पर उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार निष्कासित अथवा दण्डित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।

26. शासनादेश संख्याः 5228 (1) 15 (उ.शि.)–1/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति देना अनिवार्य है जिसे पूरी किये बिना कोई भी परीक्षार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता ।

27. उत्तराखण्ड के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व अपना पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

28. भारत सरकार के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान(NIOS)से उत्तीर्ण अभ्यर्थीप्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

29. प्रवेश निरस्त होने पर कोई भी शुल्क वापस नहीं होगा।

30. महाविद्यालय के समस्त प्रवेशार्थियों/वरिष्ठ छात्रों को यू.जी.सी. के Websiteपर antiraggingहेतु पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा एवं उसकी हार्ड कॉपी प्रवेश के समय जमा करनी होगी।

31. महाविद्यालय में शासन द्वारा छात्र–छात्राओं के लिये यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है। छात्र–छात्राओं की यूनिफार्म नमूना उपलब्ध है।

32. महाविद्यालय प्रवेश नियमावली में त्रुटि प्रकाश में आती है तो अन्तिम निर्णय महाविद्यालय प्रशासन का होगा।

33. योग्यता सूचि का निर्धारण

स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का प्रवेश योग्यता सूची इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर देय होगा। इसके अतिरिक्त अधिभार अंक निम्नवत् दिये जायेंगे।

1 खेलकूद राष्ट्रीय स्तर –07 अंक/राज्य स्तर एवं जोनल स्तर –05 अंक

2 एनएसएस/एनसीसी –ए/बी/सी आरडी परेड प्रमाण पत्र प्रेषित करने पर क्रमश 1,2,3 अंक देय होंगे।

3 एनएसएस –एक/दो शिविर को क्रमशः 03 एवं 05 अंकि देय होंगे। (शिविर अथवा प्रमाण पत्र होने पर अधिकतम 5 अंक देय होगा।

4 रेंजर/रोवर्स एवं स्काउट गाइड जी–1 जी–2 तथा ध्रुव पद/गुरू पद धारक को क्रमशः 1,2 अंक देय होगा।

5 उपरोक्त में अधिकतम 07 अंक देय होंगे।

उपरोक्त अधिभार स्नातकोत्तर कला संकाय के विषयों में प्रवेश हेतु भी देय होंगे।

34. **कला संकाय में प्रवेश हेतुः–**

(क) प्रत्येक अभ्यर्थी को बी.ए. प्रथम वर्ष में निम्नलिखित में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करना होगा।

1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. समाजशास्त्र, 4. राजनीतिशास्त्र, 5. अर्थशास्त्र, 6. चित्रकला,

7. मनोविज्ञान, 8. संस्कृत, 9. भूगोल, 10. इतिहास, 11. गृहविज्ञान, 12. सैन्य विज्ञान।

इन तीन विषयों के अतिरिक्त पर्यावरण विषय प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य है–

(ख) स्नातक प्रथम वर्ष कला वर्ग में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट (10+2) किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें जिन्होंने 6 विषयों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है (शारीरिक शिक्षा/कम्प्यूटर विषय के अंकों की गणना न करते हुए) के पाँच विषयों में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर वरीयता सूचकांक का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) भूगोल विषय उन्हीं अभ्यर्थियों को देय होगा जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा भूगोल के साथ या जीव विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण की है।

(घ) स्नातक (बी.ए.) स्तर पर केवल वही विद्यार्थी चित्रकला विषय का चयन कर सकता है, जिसने अर्हकारी परीक्षा में चित्रकला अध्ययन किया हो।

(ड.) कोई भी अभ्यर्थी मात्र दो प्रायोगिक विषयों का ही चयन कर सकता है।

(च) गृहविज्ञान विषय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को देय होगा जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा गृहविज्ञान विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।

(छ) विज्ञान विषयों के साथ भूगोल विषय अनुमन्य नहीं होगा। सैन्य विज्ञान विषयइण्टरमीडिएट विज्ञान/कला/वाणिज्य अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा ने सकते हैं।

(ज) कला संकाय में स्नातक (बी.ए.) स्तर पर प्रायोगिक विषयों का अध्ययन करने के इच्छुक छात्र/छात्रा अधिकतम दो प्रायोगिक विषयों का चयन कर सकते हैं। परन्तु निम्न विषय समूह वर्जित होंगे हैं।

(i) मनोविज्ञान के साथ संस्कृत(ii) चित्रकला के साथ अर्थशास्त्र

(iii) इतिहास के साथ भूगोल (iv) चित्रकला के साथ भूगोल

(v) चित्रकला के साथ सैन्य विज्ञान (vi) चित्रकला के साथ संस्कृत

(vii) चित्रकला के साथ गृह विज्ञान (viii) सैन्य विज्ञान के साथ मनोविज्ञान

35. वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतुः–

बी.कॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष, परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। परन्तु प्रवेश मेरिट के आधार पर उपलब्ध सीटों पर किये जायेंगे। जिन प्रवेशार्थियों का इण्टरमीडिएट अन्य विषय के साथ उत्तीर्ण की हो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित (क्वालीफाइंग) अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा उल्लिखित अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही उन्हें बी.कॉम की उपाधि प्रदान की जायेगी।

36. विज्ञान संकाय में प्रवेश हेतुः–

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में प्रवेश की सुविधा है–रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित।

बी.एससी. प्रथम वर्ष में मेरिट के आधार पर उन्हीं छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा जो इण्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान के छात्र रहे हों। इण्टर कृषि के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

गणित वर्ग (भौतिक–रसायन–गणित (PCM)में वरीयता का निर्धारण इण्टरमीडिएट में PCM सहित पांच विषयों में (शारीरिक शिक्षा व कम्प्यूटर को छोड़कर प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

- बायो ग्रुप (जन्तु विज्ञान–वनस्पति विज्ञान–रसायन विज्ञान (ZBC)में वरीयता का निर्धारण इण्टरमीडिएट में पांच विषयों (शारीरिक शिक्षा व कम्प्यूटर को छोड़कर) प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।
- बी.एससी. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिये योग्यता क्रम निर्धारण हेतु इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। परन्तु प्रवेश मेरिट के आधार पर उपलब्ध सीटों पर ही किये जायेंगे।

37 **स्नातकोतर कला संकाय में प्रवेश हेतु–**

38. एम.ए. में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.ए. परीक्षा 40 प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

बी.एससी./बी.कॉम. परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा एम.ए. प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर अन्य विषय में प्रवेश ले सकते हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन किया जा सकता है–हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं मनोविज्ञान।

39. महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र छात्राआसें हेतु निम्नलिखित शिक्षणेत्तर क्रिया–कलाप एवं प्रकोष्ठ उपलब्ध हैं– छात्र अपनी अभिरूचि के अनुसार प्रतिभाग कर सकते हैं।

(i) शारीरिक शिक्षा
(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना
(iii) रोवर्स रेंजर्स
(iv) एन.सी.सी
(v) विभागीय परिषद्
(vi) सांस्कृतिक परिषद

(vii) **छात्रसंघः–** महाविद्यालय छात्रसंघ निर्वाचन लिंगदोह समिति के निर्देशानुसार शासन तथा विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देषानुसार सम्पन्न कराये जायेंगे।

40. छात्रों की सहायता हेतु निम्न प्रकोष्ठ कार्य करते हैं

1 महाविद्यालय कैरियर काउंसिलिंग
2.एडुसेट
3.SC/ST सेल
4.महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

5.आपदा प्रबन्धन कमेटी
6.धूम्रपान निषेध प्रकोष्ठ
7.पूर्व छात्र संगठन
8.अभिभावक शिक्षक संगठन (PTA)
9.अनुसूचित जाति उपयोजना प्रकोष्ठ
10.महाविद्यालय पत्रिका प्रकोष्ठ
11. एण्टी रैगिंग सैल

उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त जानकारियां सम्बन्धित संयोजक द्वारा सूचना पट्ट पर लगायी जायेंगी।

41.परिचय पत्र

महाविद्यालय में संस्था के प्रमाणित छात्र/छात्रा होने के लिये प्रत्येक छात्र–छात्रा को अपने पास परिचय–पत्र रखना अति आवश्यक होगा।

यदि अनुशासन मण्डल का कोई सदस्य परिचय–पत्र दिखाने को कहता है और उस समय विद्यार्थी ने परिचय–पत्र नहीं दिखाया तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जायेगा। अतः परिचय पत्र को विद्यार्थी सदैव महाविद्यालय में अपने पास रखें।

परिचय–पत्र खो जाने पर उसकी सूचना विद्यार्थी मुख्य शास्ता को दे तथा अपनी संस्तुति के आधार पर विद्यार्थी को शुल्क रसीद दिखाकर रु. 50/– जमा करने पर दूसरी प्रति निर्गत की जायेगी। अतः विद्यार्थी को शुल्क रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए।

42. छात्रवृत्ति

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ जो छात्र/छात्राओं को scgkiarsguos.gov.in उपलब्ध कराई जाती है–

अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी website: scholarship.govt.inपर आवेदन करना होगा। उपरोक्त छात्रवृत्तियाँ जाति प्रमाण–पत्र (तहसीलदार के प्रमाण–पत्र) तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत आया प्रमाण–पत्र के आधार पर ही निर्गत की जायेगी।

असेवित छात्रवृत्ति–स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हो तथा उसके घर से निकटतक महाविद्यालय 10 किलोमीटर दूर हो और माता/पिता/अभिभावक की मासिक आय **रु. 600/–**प्रतिमाह से अधिक ना हो तथा जिन्होंने

इंटर अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों तथा आय का प्रमाण–पत्र जो उपजिलाधिकारी/तहसीलदार से कम अधिकारी का न हो इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे।

उक्त छात्रवृत्तियों के आवेदन–पत्र प्रवेश लेने तथा फीस जमा करने के उपरान्त एक माह के भीतर फीस रसीद दिखाकर कार्यालय से प्राप्त कर लें तथा एक सप्ताह के अन्दर जाति प्रमाण–पत्र तथा आय प्रमाण–पत्र (आय प्रमाण–पत्र छः माह की तिथि का हो) अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा कर दें।

अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) के लिए अभ्यर्थी भारत सरकार द्वारा जारी बेवसाइट website: scholarship.govt.in पर लॉगइनकर ऑन लाईन आवेदन करेंगे। अभ्यर्थी आवेदन–पत्र की प्रिन्ट कॉपी तथा वांछित प्रपत्रों की फोटो प्रति महाविद्यालय कार्यालय में भी अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।

नोट– भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 से समस्त प्रकार की केन्द्र पोषित छात्रवृत्तियों का भुगतान भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। अतः समस्त अर्ह छात्र–छात्राओं को अपने खाते सी.बी.एस. बैंकों में खोलने होंगे एवं खातों को आधार कार्ड से जोड़ना होगा।

43. महाविद्यालय पुस्तकालय

महाविद्यालय पुस्तकालय कार्य दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे 5.00 बजे तक खुला रहता है। छात्र–छात्राओं को सुविधानुसार पुस्तक प्राप्त करने के लिये तिथियाँ निर्धारित की जाती है और उन्हीं दिनों में पुस्तकें वर्ष भर निर्गत की जाती हैं।

1. पुस्तकें प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्राओं को परिचय–पत्र दिखाने पर पुस्तकें एक निर्धारित अवधि हेतु जारी की जाती हैं।

2. पुस्तकों को सुरक्षित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी पुस्तक लेने वाले की होती है। पुस्तक फटने, गन्दी होने अथवा नष्ट होने पर नई पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय पुस्तक की दशा की भली–भाँति जाँच कर लेनी चाहिए।

   पुस्तकों पर नाम व अन्य विवरण लिखना सर्वथा वर्जित है। यदि पुस्तकालय से पुस्तक खराब हालत में मिलती है तो इस आशय का प्रमाण–पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तक दिखाकर लेना चाहिए।

3. सभी पुस्तकों को विश्वविद्यालय की परीक्षा से पूर्व अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करते समय लौटाना अनिवार्य है।

आचार संहिता (Code of Conduct)

44. अनुशासन एवं अनुशासक मण्डल

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासित व स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने का उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल संयोजक मुख्य शास्ता(Chief Proctor)होता है। जिसे सहयोग करने हेतु महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक शास्ता मण्डल के पदेन सदस्य होते हैं। शास्ता मण्डल द्वारा समय–समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है। अनुचित आचरण करने/नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल सम्बन्धित

विद्यार्थी को दण्डित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न लें और बल प्रयोग न करें। यदि कोई शिकायत हो तो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके। महाविद्यालय परिसर की निगरानी सी.सी.टी.वी. कैमरों द्वारा होती है।

मुख्य अपराध :

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर प्रदर्शित करना।
2. महाविद्यालय में आए किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुँचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिये प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है।)
7. परिसर में किसी राजनीति या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण–पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना/मानने से इन्कार कर देना।
10. महाविद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना दण्डनीय अपराध है, जो भी विद्यार्थी महाविद्यालय की सम्पति को क्षति पहुँचाताा पाया जायेगा उस पर महाविद्यालय द्वारा अर्थ–दण्ड लगाया जाएगा।

निषेधः–

1. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन लगाना या हस्ताक्षर करना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने का प्रयास करना।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
5. कक्षाओं में तम्बाकू , धूम्रपान मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करना।
6. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापकद्वारा विद्यार्थी का परिचय–पत्र माँगने पर इंकार करना।
7. जो भी विद्यार्थी उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा निलम्बित अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।
8. महाविद्यालय के मुख्य गेट से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क पर वाहन खड़ा करना वर्जित है।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियमः– 1 प्रत्येक छात्र के पास परिचय–पत्र का होना आवश्यक है। जिसे परिसर में कभी भी माँगा जा सकता है। परिचय–पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।

2 जिन छात्रों की गतिविधियाँ शास्ता मण्डल/महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है। उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

3 महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा। ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जायेगा।

4 दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

45. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र के लिए रु. 5 शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।
नोट : इस विवरणिका के नियमों में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन, संशोधन का पूरा अधिकार प्राचार्य को होगा। समय–समय पर नये शासनादेशों के प्राप्त होने पर भी तदनुसार संशोधन किये जायेंगे, एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय के प्रवेश/परीक्षा नियम/निर्देश पूर्णतः महाविद्यालय में लागू रहेंगे।

46. रैगिंग/रैगिंग से संबंधित गतिविधियां एव दण्ड के प्रावधान

महाविद्यालय ने अपने परिसर में रैगिंग की प्रभावशाली रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश मार्च, 2009 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या –310/04/एस0आई0ए0, दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 के दृष्टिगत छात्र/छात्राओं से शपथपत्र जमा किये जायेंगे।

1. **रैगिंग का अभिप्राय** : उक्त आदेशों के अनुसार रैगिंग का अभिप्राय निम्नवत् है।

Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect teasing, treating or handling with rudneness any other student, including in rawdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause embarrassment, hardship or psychological harm or to raise fear of apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such students will not in the ordinbary course do or perform and which has the effect of causing or generating a sense of shame or so as the adversely affect the physique or psyche of a fresher or an junior student. Any of the sense of shame or so as the adversely affect the physique or psyche of a fresher or junior student. Any of the above acts committeed by any student of the same or junior or senior class shall be deemed to be ragging./

2. रैगिंग से सम्बन्धित गतिविधियां

उक्त आदेशों/निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित गतिविधियों को रैगिंग के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

- रैगिंग करने के लिए उकसाना।
- रैगिंग करने के लिए अपराध षड़यंत्र।
- रैगिंग हेतु गैरकानूनी सभा एवं दंगा करना।
- रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना।

- रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन।
- रैगिंग के माध्यम से शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट।
- अनुचित रूप से शिक्षण संस्थान में प्रवेश प्रतिबंधित करना।
- अनुचित रूप से बंधक बनाना।
- अपराधिक बल का प्रयोग करना।
- आक्रमण, यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध।
- जबरन वूसली।
- अपराधिक अतिक्रमण।
- संपति के विरूद्व अपराध।
- अपराधिक रूप में धमकाना।
- रैगिंग के उत्पीड़न के उपरोक्त में से किसी एक अथवा सभी कत्यों को करने का प्रयास।
- रैगिंग की परिभाषा से जनित सभी अपराध।

3. रैंगिंग के अन्तर्गत दण्ड के प्रावधान

संस्था की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गम्भीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये विद्यार्थियों को दिये जाने वाले दण्ड निम्न में से कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है।

- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- कक्षा से निलंबन।
- छात्रवृति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
- परीक्षा परिणाम रोकना।
- किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- निरस्तीकरण।
- संस्थान से एक से चार सेमेस्टर अवधि हेतु निष्कासन।
- संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरांत अन्य किसी संस्थान में प्रवेश से वंचित किया जाना।
- रू0 25 हजार तक का जुर्माना ।
- जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाए तब सम्भावित रैंगिंगकर्ताओं पर सामुहिक दायित्व निर्धारित करने हेतु संस्थान सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगा।

4 पहचान एवं चरित्र का प्रमाणीकरण

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा को शास्ता कार्यालय द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जायेगा। किसी छात्र/छात्रा को जारी पहचान पत्र को ही महाविद्यालय का छात्र/छात्रा होने का एकमात्र प्रमाण माना जायेगा। शास्त्रा मण्डल/एन्टी रैंगिंग समिति के किसी सदस्य के मांगने पर प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मांगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने में किसी छात्र/छात्रा के असमर्थ रहने की स्थिति में उसे अनाधिकृत प्रवेशकर्ता माना जायेगा एवं उसके विरूद्व महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन कार्रवाई की जायेगी । पहचान पत्र खो जाने की सूचना शास्ताकार्यालय को देना होगा तथा शास्ता कार्यालय से इस आशय का आवेदन प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुए तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि पहचान पत्र शास्ता कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

2. मांग करने पर छात्र/छात्राओं के चरित्र प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। अक्सर नौकरी के लिए आवेदन करने समय छात्र/छात्राओं से समुचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है । नियंताद्वारा अधिकृत रूप से जारी चरित्र प्रमाण पत्र को सामान्यतः छात्र/छात्रा को सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। लिखित आवेदन करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत छात्रों को आवश्यकतानुसार चरित्र प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। परन्तु जिन छात्रों को ब्लैक लिस्ट किया गया हो अथवा जिन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो अथवा रैगिंग में लिप्त पाया गया हो उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्राविधान।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदोपरांत जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय स्तर पर महिलाओं के विरूद्व यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है इसमें आगे बढते हुए एक विशेष पहल के रूप में छात्राओं के आत्म विश्वास संवर्द्वन हेतु प्रकोष्ठ द्वारा सैन्य विधाओं एवं योग की कक्षाऐं आयोजित की जायेगी। यह प्रकोष्ठ महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष व्याख्यान भी आयोजित करेगा। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय द्वारा छात्राओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करता है। महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

शपथ पत्र का प्रारूप(छात्र/छात्रा द्वारा भरा जायेगा)

1. मैं .....पुत्र/पुत्री /श्री /श्रीमती नें रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे संबंधित निर्देशों को भली–भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की जानकारी UGC Wbsie से प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है।
3. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता /करती हूं कि–

मैं ऐसे किसी कृत्य व्यवहार से सम्मिलित नहीं होऊंगा/होऊँगी जोकि रैगिंग की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।
मैं किसी भी रूप में रैगिंग में लिप्त नहीं होऊंगा/होऊँगी उसे प्रोत्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूंगा/करूंगी।
मैं किसी को भी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूंगा/करूंगी अथवा कोई अन्य क्षति नहीं पहुंचाऊंगा/पहुंचाऊंगी।

हस्ताक्षर दिन माह वर्ष

नाम व पता
हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

.....

माता/पिता/अभिभावक के शपथ पत्र का प्रारूप

1 मैं ..... पुत्र/पुत्री /श्री /श्रीमती नें रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे संबंधित निर्देशों को भली–भांति पढ़ लिया है
2 मैं विश्वास दिलाता/दिलाती हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री/संरक्षित रैगिंग के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा।
3 मैं सहमति देता /देती हूं कि यदि उसे रैगिंग में लिप्त पाया गया तो उसे महाविद्यालय अनुदान आयोग के विरूद्व एवं तत्समय लागू विधि व्यवस्था के अधीन दण्डित किया जाए।

हस्ताक्षर दिन माह वर्ष

नाम व पता
हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

या

विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है किवे एन्टी रैगिंग पत्र हेतु www.amanmovement.org log in करें तथा समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन पूर्ण करने के पश्चात उपलब्ध फार्म (शपथ पत्र का प्रारूप) को प्रिंट करके अपने तथा अपने माता/पिता/अभिभावक के अलग–अलग फार्म (शपथपत्र) प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के उपरांत प्रवेश के समय इस शपथपत्र को जमा करें।

प्राध्यापकों की सूची

प्राचार्य डॉ0 डी0सी0 नैनवाल

1. अर्थशास्त्र विभाग

1.	डॉ0 नीलू कुमारीएसो0 प्रो0	विभाग प्रभारी
2.	पद रिक्त	

2. अंग्रेजी विभाग

1	डॉ0 पल्लवी मिश्रा असि. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
2	पद रिक्त	

3. इतिहास विभाग

4.डॉ0 गिरीश सेठी	असि. प्रोफेसर	
5.श्री प्रमोद पन्त	एसो. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
6.डॉ0 नूरहसन	असि. प्रोफेसर	

4. गृह विज्ञान विभाग

1. डॉ0 प्रभा बिष्ट	असि. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी

5. चित्रकला

8. पद रिक्त

6. भूगोल विभाग

1. डॉ0 सन्तोष वर्मा	प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
2. डॉ0 एस.के. बलूड़ी	एसो. प्रोफेसर	
डॉ0 कंचन सिंह	एसो0 प्रोफेसर	(सम्बद्ध)

7. मनोविज्ञान विभाग

1. डॉ0 वल्लरी कुकरेती	एसो. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
2. डॉ0 वन्दना गौड़	असि. प्रोफसर	
3. डॉ0 पूनम पांडे	असि. प्रोफेसर	

8. राजनीति विज्ञान विभाग

1. डॉ0 राखी पंचोला	असि. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
2. डॉ0 अंजली वर्माअसि. प्रोफसर		

9. समाजशास्त्र विभाग

1. डॉ0 रविन्द्र सिंह रावत	एसो. प्रोफेसर	विभाग प्रभारी
2. डॉ0 अफरोज़ इकबाल	एसो. प्रोफेसर	
3. डॉ0 अनिल भट्ट	असि. प्रोफेसर	

10. सैन्य विज्ञान विभाग

1. डॉ0 नर्वदेश्वर शुक्ल प्रोफेसर विभाग प्रभारी
2. डॉ0 जसवंत सिंह चौहान असि0 प्रोफेसर (सम्बद्व)

11. संस्कृत विभाग

1. डॉ0 रेखा नौटियाल असि. प्रोफेसर विभाग प्रभारी

12.. हिन्दी विभाग

1 डॉ0 डी0एन0 तिवारी एसो. प्रोफेसर विभाग प्रभारी
2 डॉ0 दिनेश प्रताप सिंह एसो. प्रोफेसर

13. रसायन विज्ञान विभाग

1. डॉ0 एस.पी. सती प्रोफेसर विभाग प्रभारी

14. जन्तु विज्ञान विभाग

1. डॉ0 महाबीर सिंह रावत प्रोफेसर विभाग प्रभारी

15. भौतिक विज्ञान विभाग

1. डॉ0 नवीन कुमार नैथानी एसो. प्रोफेसरविभाग प्रभारी

16. गणित विभाग

1 .डॉ0दीपा शर्मा असि. प्रोफेसर विभाग प्रभारी

17. वनस्पति विज्ञान विभाग

1 . डॉ0 सुनीति कुमार कुड़ियाल असि. प्रोफेसर विभाग प्रभारी

18. वाणिज्य संकाय

1 डॉ0 राजमणि राम पटेल प्रोफेसर विभाग प्रभारी
2.डॉ0 निकिता वर्मा असि0 प्रो0 (सम्बद्व उत्तरकाशी)
2. डॉ0 कंचनलता सिन्हा प्रोफेसर (सम्बद्व)
3. डॉ0 राजपाल सिंह रावत असि0. प्रोफेसर (सम्बद्व)
4. डॉ0 आशा रौगाली असि0 प्रोफेसर (सम्बद्व)

नोट : महाविद्यालय स्टाफ में परिवर्तन सूचना नोटिस बोर्ड के द्वारा दी जायेगी।

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

1. श्री विनोद कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
2. श्रीमती स्नेहलता, सहायकपुस्तकालयाध्यक्ष
3. श्री रामलाल, अनुसेवक
4. श्री मनोज भूषण, प्रयोगशाला सहायक, मनोविज्ञान
5. श्री गजे सिंह कण्डारी, लिपिक
6. श्रीमती प्राची बहुगुणा, पुस्तकालय लिपिक
7. श्री जितेन्द्र सिंह नेगी, लिपिक
8. श्री महेश कुमार, प्रयोगशाला सहायक
9. श्री आतिफ कुरैशी, प्रयोगशाला सहायक
10. श्री नवीन आर्य, प्रयोगशाला सहायक
11. श्री रामेश्वर प्रसाद, प्रयोगशाला सहायक
12. श्री सोमेश्वर, विद्युतकार
13. श्री बृजमोहन, अनुसेवक
14. श्री राजेश कुमार, सफाईकार
15. श्री अशोक कुमार, अनुसेवक
16. श्रीमती ममता देवी, अनुसेविका
17. श्री राकेश सिंह, सफाईकार
18. श्री सुनील कुमार नेगी, चौकीदार
19. श्रीमती शोभा देवी, अनुसेविका
20. श्री संजय कुमार, अनुसेवक

Fee Structure 2020-21

BA I,II, III Year with Practical Subject - Rs.1706

BA I,II, Year& V Sem without Practical Subject- Rs. 1356

BCom I,II, Year& V Sem without Practical Subject- Rs. 1356

MA

MA I, III Sem with Practical Subject - Rs. 1886

MA I, III Sem Year without Practical Subject - Rs. 1536

University examination fee will be deposited at the time of submission of exam form as per university notification.

नोटः राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के निर्देशों के क्रम में यदि शुल्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो शुल्क राशि परिवर्तनीय रहेगी।